# पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 03 | अंक : 2 | मार्च 2023 | परस्पर संपर्क हेतु


# म.प्र. में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए बजट - एक नजर


विनोद चौधरी द्वारा


मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,14,025 करोड़ का बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में इस वर्ष 11 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, साथ ही 3509.81 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगाया गया है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के लिए राजकोषीय घाटा 4.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) दिशानिर्देशों को बनाए रखते हुए घाटा 2.99% आंका गया था।

सरकार ने कृषि और इससे जुड़े विभागों (मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता, उद्यानिकी और खाद प्रसंस्करण विभाग) को 21,098.49 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कुल बजट का 6.71 प्रतिशत है। कृषि और इससे जुड़े विभागों के बजट में वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में 5.68 प्रतिशत और पुनरीक्षित बजट अनुमान की तुलना में 5.89 प्रतिशत की कमी की गई है।

कृषि बजट में 78.56 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कृषि पर प्रमुख फोकस किया गया है, कृषि बजट का शेष 21.44 प्रतिशत हिस्सा डेयरी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन एवं डेयरी, सहकारिता और मत्स्य पालन विभागों के बीच वितरित किया गया है। पिछले कुछ वर्षों में विभागों के बीच कृषि बजट का वितरण इसी प्रकार रहा है।

**कृषि बजट अनुमान 2023-24 में कृषि और इससे संबंधित विभागों की हिस्सेदारी (करोड़ में)**

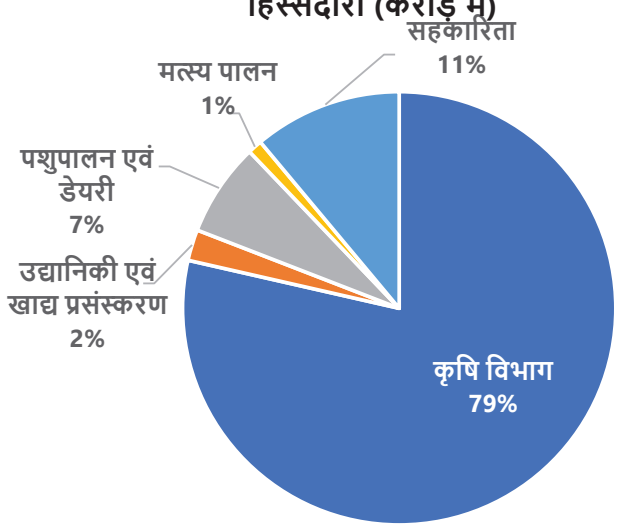


## कृषि बजट की प्राथमिकतायें

- मुख्यमंत्री किसान फसल सहायता योजना (ई-उपार्जन) जो कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से फसलों की खरीदी कर उचित मूल्य दिलाने के लिए शुरू की गई थी, इसके बजट में साल दर साल कमी देखी गई है। वर्ष 2021-22 में योजना के लिए 3,000 करोड़ का बजट रखा गया था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर आधा रह गया, वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवल 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो इसके लिए योजना के तहत नए खरीदी केन्द्र स्थापित करने और खरीदी केन्द्रों को उन्नत बनाने के काम भी किये जा रहे हैं। योजना के तहत किए जाने वाले खर्चों को देखते हुए मौजूदा बजट को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
- कृषि विभाग में सबसे अधिक आवंटन अटल कृषि ज्योति योजना (33.24 प्रतिशत यानि 5,510 करोड़) के लिए किया गया है, साथ ही इस वर्ष के बजट में 2475 करोड़ रुपये (14.93 प्रतिशत) 5 हार्सपावर के कृषि पम्प/ थ्रेशर तथा एकबत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु आवंटित किये गये हैं। दोनों योजनायें किसानों को रियायती दर पर पंप/ थ्रेशर और बिजली उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में 78 करोड़ का प्रावधान था, वहीं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में इसे बढ़ाकर 236 करोड़ रुपये किया गया है, हालांकि, वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत 267.69 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे; यह योजना परिसंपत्ति निर्माण के माध्यम से कृषि-व्यवसाय को एकीकृत सहयोग प्रदान करती है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के बजट में वर्ष 2023-24 के लिए 19 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (40 करोड़) से लगभग 52 प्रतिशत कम है।
- आत्मा परियोजना के बजट आवंटन में 118 प्रतिशत की वृद्धि (70 करोड़ से 151 करोड़) की गई है। यह उम्मीद की जाती है कि सरकार राज्य में कृषि विस्तार सेवाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है। आत्मा परियोजना के साथ-साथ कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्टाफ की नियुक्ति हेतु 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- केंद्रीय बजट में, विकासशील उद्यमों और प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हालांकि, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और प्रचार में 50 प्रतिशत (10 करोड़ से 5 करोड़) की कमी आई है, लेकिन प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए एक नई योजना के तहत, बजट अनुमान 2023-24 में 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) - पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एन्ड मैनेजमेंट, कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना हेतु सहायता तथा कृषि इंजीनियरिंग गतिविधियाँ और ग्रामीण विकास, इस साल के बजट से हटा दिए गए हैं। SMAM के तहत बजट आवंटन उतना ही रखा गया है जितना बजट (128 करोड़ रुपये) अनुदान पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीद के लिए आवंटित किया जाता है।

**कृषि और इससे जुड़े विभागों के लिए बजट आवंटन (करोड़ में)**

| विभाग | बजट अनुमान 2022-23 | पुनरीक्षित बजट अनुमान 2022-23 | बजट अनुमान 2023-24 | अन्तर प्रतिशत में (पुनरीक्षित बजट अनुमान बनाम बजट अनुमान) |
|---|---|---|---|---|
| कृषि | 15,663.92 | 16,075.10 | 16,575.60 | 3.11 |
| उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण | 667.86 | 492.77 | 489.43 | -0.68 |
| पशुपालन एवं डेयरी | 1,424.40 | 1,326.85 | 1,472.05 | 10.94 |
| मत्स्य | 250.20 | 198.77 | 225.44 | 13.42 |
| सहकारिता | 1,957.88 | 1830.73 | 2335.97 | 27.60 |
| कुल योग | 19,964.26 | 19,924.22 | 21,098.49 | 5.89 |

## बजट में कृषि से जुड़े विभागों (पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी एवं सहकारिता) की प्राथमिकताए

- केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बजट में कोई वृद्धि नहीं की गयी है, किन्तु राज्य के बजट में 35.39 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। राज्य द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का बजट पिछले साल के समान है, अर्थात इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- केंद्रीय बजट में पीएम-मत्स्य सम्पदा योजना में की गई 134 करोड़ की वृद्धि, मत्स्य विभाग मध्य प्रदेश के बजट में नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि बजट अनुमान 2022-23 से 23.34 करोड़ कम है। साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री-


*(शेष पेज 2 पर)*

*( पेज 1 का शेष)*

मछुआ समृद्धि योजना, मत्स्य विकास की एक एकीकृत योजना का बजट आवंटन पिछले वर्ष के समान ही है।

- वर्ष 2022-23 के पुनरीक्षित बजट अनुमान में बागवानी विभाग की पीएम-केएसवाई (सूक्ष्म सिंचाई) योजना की प्रमुख हिस्सेदारी 24 प्रतिशत थी, वहीं वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में विभाग के बजट में 3.43 करोड़ की कमी की गई है और पीएम-केएसवाई के बजट आवंटन को उद्यान विभाग से वापस ले लिया गया है। इसमें प्रशासनिक व्यय (132.13 करोड़), नर्सरी (112.82 करोड़) और पीएम-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना (100 करोड़) विभाग की बजट प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
- सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत जहां बजट अनुमान 2022-23 में 75 करोड़ का बजट रखा गया था, इसे बजट अनुमान 2023-24 में घटाकर 12.67 करोड़ कर दिया गया है। यह योजना किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई थी ताकि किसान समय पर बीज और कृषि संबंधी अन्य जरूरी सामग्रियों की खरीदी कर सकें। इस मद में कटौती से किसान फिर से आर्थिक कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। हालांकि, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि डिफाल्टर किसानों को बीज और खाद उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
- वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत

### कृषि और इससे जुड़े विभागों के बजट में जेंडर बजट की हिस्सेदारी

| विभाग | जेंडर बजट का हिस्सा |
|---|---|
| किसान कल्याण और कृषि विकास | 0.94 % |
| बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण | 18.39 % |
| पशुपालन और डेयरी | 11.18 % |
| मछुआरा कल्याण और मत्स्य विकास | 65.05 % |
| सहकारिता | 25.83 % |
| **कुल योग** | **24.27%** |

पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता विभागों को 109.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में इस योजना के लिए तीनों विभागों के द्वारा दी जाने वाली सहायता वापस ले ली गई है।

### बजट में जेंडर बजटिंग पर फोकस

जेंडर बजट राज्य में केवल एक बजटीय अभ्यास है, विभिन्न योजना दिशा निर्देशों के अनुसार, बजट का 30 प्रतिशत महिला लाभार्थियों के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि जेंडर बजट स्टेटमेंट के तहत योजनाओं की पूरी राशि आवंटित कर दी गई है। कृषि विभाग की आत्मा योजना का बजट अनुमान 151.79 करोड़ है, इतनी ही राशि जेंडर बजट के तहत आवंटित की जाती है। हालांकि, कार्यान्वयन के दौरान यह जरूरी है कि पूरी राशि का उपयोग महिला लाभार्थियों के लिए किया जाए।

## जानकारी

# मिट्टी परीक्षण योजना

विनोद चौधरी द्वारा

बेहतर फसल उत्पादन एवं मृदा स्वास्थ्य हेतु संन्तुलित पौध पोषण बहुत जरूरी होता है। उचित पौध पोषण के लिए खेत की मिट्टी में कौन-कौन से प्रमुख एवं गौण पोषक तत्व किस मात्रा में मौजूद हैं, मिट्टी परीक्षण से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मिट्टी परीक्षण के परिणामों के आधार पर किसान उर्वरकों का सन्तुलित मात्रा में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।

### मिट्टी परीक्षण क्या है?

खेत की मिट्टी में पौधों की समुचित वृध्दि एवं विकास हेतु आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्ध मात्राओं का रासायनिक परीक्षणों द्वारा आंकलन करना साथ ही विभिन्न मृदा विकास जैसे मृदा- लवणीयता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की जांच करना मिट्टी परीक्षण कहलाता है।

### मिट्टी परीक्षण की आवश्यकता

पौधों की समुचित वृध्दि एवं विकास के लिये प्रमुख रूप से 16 सोलह पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें अनिवार्य पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्निशियम एवं सल्फर ( मुख्य या अधिक मात्रा में लगने वाले आवश्यक पोषक तत्व ) इन पोषक तत्वों में से प्रथम तीन तत्वों को पौधे प्रायः वायु व पानी से प्राप्त करते हैं तथा शेष 13 पोषक तत्वों के लिये ये भूमि पर निर्भर रहते हैं। सामान्यतः ये सभी पोषक तत्व भूमि में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध रहते हैं, परन्तु खेत में लगातार फसल लेते रहने के कारण मिट्टी में इन सभी आवश्यक तत्वों का निरन्तर ह्रास हो रहा है। असन्तुलित पौध पोषण की दशा में फसलों की वृध्दि ठीक से नहीं हो पाती और पौधों के कमजोर होने एवं रोग व्याधि, कीट आदि से ग्रसित होने की सम्भावना अधिक रहती है । परिणामस्वरूप फसल उत्पादन कम होता है। इसके अलावा उर्वरकों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, मिट्टी परीक्षण के परिणामों के अनुसार उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग खेती के लिए लाभकारी हो सकता है। अतः मिट्टी परीक्षण उर्वरकों के सार्थक उपयोग एवं बेहतर फसल उत्पादन हेतु बेहद जरूरी है।

### मिट्टी परीक्षण के उद्देश्य

मिट्टी परीक्षण सामान्यतया निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाता है -

- मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर की जांच कर फसल एवं किस्म के अनुसार तत्वों की सन्तुलित मात्रा का निर्धारण कर खेत में खाद एवं उर्वरक मात्रा की सिफारिश हेतु।
- मृदा अम्लीयता, लवणीयता एवं क्षारीयता की पहचान एवं सुधार हेतु सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर जमीन को कृषि योग्य बनाने हेतु महत्वपूर्ण सलाह एवं सुझाव देना।
- फल के बाग लगाने के लिये भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना।
- मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने के लिये। यह मानचित्र विभिन्न फसलों के उत्पादन की योजना बनाने तथा क्षेत्र विशेष में उर्वरकों के उपयोग संबंधी जानकारी देता है।

### मिट्टी का नमूना एकत्र करना

मिट्टी परीक्षण के लिये मिट्टी का सही नमूना एकत्र करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिये जरूरी होता है कि नमूना इस प्रकार लिया जाये कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने एकत्र किये जाते हैं। नमूना लेते समय निम्न बातों का ध्यान रखें -

1- नमूना लेने से पूर्व खेत में ली गई फसल की बढवार एक समान रही हो।
2- उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किये गये हों।
3- जमीन समतल व एक ही हो तो ऐसी स्थिति में पूरे खेत से एक ही संयुक्त या प्रतिनिधि नमूना ले सकते हैं।

लेकिन खेत में अलग-अलग फसल ली गई हो, भिन्न-भिन्न भागों में अलग-अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो, फसल की बढ़वार कहीं कम, कहीं ज्यादा रही हो और जमीन समतल न होकर ढालू हो तो इन परिस्थितियों में खेत को समान गुणों वाले टुकड़ों में बांटकर हर इकाई से अलग-अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिये। सामान्यतः फसल बोने के एक माह पहले नमूना लेकर परीक्षण हेतु भेजना चाहिये ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जायें एवं सिफारिश के अनुसार खाद उर्वरकों का उपयोग किया जा सके।

### नमूना एकत्रीकरण हेतु आवश्यक सामग्री

खुरपी, फावड़ा, बाल्टी या ट्रे, कपड़े एवं प्लास्टिक की थैलियां, पेन, धागा, सूचना पत्रक, कार्ड आदि ।

### प्रतिनिधि नमूना लेने का सही तरीका

1- जिस खेत से नमूना लेना हो उसमें घूमकर 10-15 ऐसे स्थानों को चिन्हांकित करें कि खेत के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व नमूने में हो सके।
2- चुने गये स्थानों की ऊपरी सतह से घास-फूस, कूड़ा करकट आदि हटा दें।
3- सभी स्थानों पर 15 सें.मी. (6 -9 इंच) गहरा V आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ ऊपर से नीचे तक 2 से.मी. मोटी मिट्टी की परत निकाल लें तथा साफ बाल्टी या ट्रे में रख लें।
4- एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें तथा साफ कपड़े पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगुली से ढेर को चार बराबर भागों में बांटकर दो भाग की मिट्टी अलग हटा दें। अब शेष दो भागों की मिट्टी पुनः अच्छी तरह से मिला लें व गोल ढेर बनायें। यह प्रक्रिया तब तक दोहरायें जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी शेष रह जाये। यही प्रतिनिधि नमूना होगा।
5- सूखे मिट्टी नमूने को साफ प्लास्टिक थैली में भरकर एक कपडे की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो, एक प्लास्टिक की थैली के अन्दर तथा दूसरा कपड़े की थैली के बाहर बांध देवें ।
6- अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भेजें।

### मिट्टी जांच संबंधी सूचना पत्रक

निम्न जानकारी लिखा हुआ सूचना पत्रक नमूनों के साथ रखें एवं ऊपर बांधें -

कृषक का नाम ----------
पिता का नाम----------
ग्राम/मोहल्ला----------
डाकघर----------
विकासखण्ड/तहसील----------
जिला----------
खेत का खसरा नम्बर/सर्वे----------
पहचान----------
सिंचित/असिंचित----------
पहले ली गई फसल एवं मौसम----------
आगे ली जाने वाली फसल एवं मौसम ----
----------
नमूना लेने वाले का नाम/हस्ता0----------
दिनांक ----------
मिट्टी संबंधी अन्य विशेष समस्या----------

### विशेष परिस्थितियों हेतु नमूना एकत्रीकरण

लवण प्रभावित भूमि से मिट्टी नमूना लेने के लिये 90 से.मी. गहरा गड्ढा खोदकर एक तरफ से सपाट कर लें। फिर वहां ऊपर से नीचे की ओर 0-15 से.मी., 15-30 से.मी., 30-60 से.मी. एवं 60 से 90 से.मी. की परतों से आधा-आधा किलो मिट्टी खुरच कर अलग-अलग थैलियों में रखकर व परतों की गहराई लिखकर सूचना पत्रक में स्थान का भू-जल स्तर, सिंचाई का स्त्रोत आदि जानकारी लिखकर मिट्टी नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजें ।

*(शेष पेज 3 पर)*

*( पेज 2 का शेष)*

फलदार पौधे लगाने के लिये 2 मी. गहराई तक से नमूना लेना चाहिये क्योंकि वृक्ष जमीन की गहराई की परतों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही जमीन में कैल्शियम, कार्बोनेट की मात्रा फलदार पौधों की बढ़वार के लिये महत्वपूर्ण होती है। 2 मी. के गड्ढे में एक तरफ सपाट करके 15, 30, 60, 90, 120, 150 एवं 180 से.मी. की गहराई पर निशान बनाकर अलग-अलग परतों से अलग-अलग मिट्टी नमूना (1/2 किलो) एकत्र करें। सूचना पत्रक में अन्य जानकारियों के साथ परतों की गहराई भी लिखें। इस प्रकार तैयार नमूनों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजें।

### मिट्टी नमूना का प्रयोगशाला में विश्लेषण एवं परिणाम

एकत्रित किये गये नमूनों को किसान भाई अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की मदद से जिले की निकटतम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु भिजवा सकते हैं।

प्रयोगशालाओं में सामान्यतः मिट्टी परीक्षण कार्बनिक कार्बन, मृदा पी.एच. मान ( अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता आदि) वैधुत चालकता, नत्रजन , स्फुर एवं पोटाश आदि का स्तर जानने के लिये किये जाते हैं तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर पोषक तत्वों के निम्नस्तर (कमी) मध्यम स्तर (पर्याप्त) एवं उच्च स्तर (अधिकता) के हिसाब से आगे बोयी जाने वाली फसल के लिये उर्वरक एवं खाद की मात्राओं की सिफारिश की जाती है। इस आधार पर कृषक, उर्वरकों का सार्थक उपयोग कर अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं तथा उर्वरकों पर खर्च किये गये पैसों का समुचित उपयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु सावधानी पूर्वक नमूना लेकर, यह साथ में लिखकर भेजें कि मृदा में सूक्ष्म तत्व विश्लेषण भी चाहते हैं।

### नमूना लेते समय रखी जाने वाली सावधानियां

- जिस जगह पर खाद का ढेर रहा हो वहां से नमूना न लें।
- पेड़ों, मेढ़ों, रास्तों के पास से नमूना न लें।
- साफ औजारों (जंग रहित) तथा साफ थैलियों का उपयोग करें।
- नमूनों के साथ सूचना पत्रक अवश्य रखें ।

याद रखें कि खेत का मिट्टी परीक्षण उतना ही जरूरी है जितना कि मानव स्वास्थ्य के लिये चिकित्सक से जांच करवाते रहना। हर तीन साल में मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए।

### निर्धारित शुल्क

शासन द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी के सूक्ष्म तत्व विश्लेषण करने हेतु सामान्य कृषकों के लिये रूपए 40/- प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये रूपए 30/- प्रति नमूना शुल्क निर्धारित किया गया है।

मुख्य तत्वों के विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये रूपए 5/- प्रति नमूना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिये रूपए 3/- प्रति नमूना निर्धारित किया गया है।

### मृदा स्वास्थ्य कार्ड (विश्लेषण के आधार पर)

क्रम संख्या.....नाम कृषक/वल्द.....निवासी.....वि.खं.....जिला .....

खसरा नं./निशानी ..... ग्राम ..... क्षे0 ..... सिं/असिं, उच्च/तराई भूमि, मृदा कण संरचना ..... पी.एच. (मृदा रासायनिक क्रिया) ..... क्षारीय/लवणीय/कोई नहीं,

मृदा चालकता ..... लवणीय सामान्य

आर्गनिक कार्बन .....उपलब्ध नत्रजन (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)

उपलब्ध स्फुर (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)

उपलब्ध पोटाश (कि.ग्रा./ हेक्टेयर)

| निम्न | मध्यम | उच्च |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

सूक्ष्म तत्वों का स्तर

| जिंक | तांबा | लोहा | मैंगनीज | बोरान |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**राज्य स्तरीय खाद एवं उर्वरक (नत्रजन, स्फुर, पोटाश) अनुशंसा प्रति हेक्टेयर**

| क्र. | फसल | उत्पादन लक्ष्य | गोबर खाद (टन) | नत्रजन (कि.ग्रा.) | स्फुर (कि.ग्रा.) | पोटाश (कि.ग्रा.) | विशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

सूक्ष्म तत्वों हेतु अनुशंसाएं

जिंक ..... मैंगनीज .....

तांबा ..... गंधक .....

लौहा ..... बोरान .....

हस्ताक्षर मुद्रा

प्रयोगशाला प्रभारी

**स्रोत : वेबसाइट, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग म.प्र.**

# जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायतों की भूमिका

**विनोद चौधरी द्वारा**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2024 तक हर घर चालू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 55 लीटर के हिसाब से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त पानी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया गया है।

### जल जीवन मिशन की प्रमुख बातें

#### अंशदान

- 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले गांवों में लोगों से योजना की कुल लागत का 5% और अन्य गांवों में 10% अंशदान लिया जाएगा। अंशदान नगद, सामग्री या श्रम के रूप में हो सकता है।

#### योजना का स्वरूप

- स्थानीय जरूरतों के अनुसार गांव स्तर पर हर वर्ग की भागीदारी के साथ नल जल आपूर्ति की योजना बनायी जायेगी।
- जिन गांवों में पर्याप्त पानी वाले जल स्रोत हैं वहां एकल ग्राम योजना और जहां उचित जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं ऐसे गांवों का समूह बनाकर बहु-ग्राम योजना के माध्यम से जल आपूर्ति की जायेगी।

#### संचालन एवं रखरखाव

- नल जल योजना का संचालन एवं रखरखाव ग्रामवासियों की भागीदारी के साथ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

#### जल स्रोतों का स्थायित्व

- पेयजल स्रोतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संग्रहण और संवर्धन के कार्य किये जायेंगे।

#### ग्राम पंचायतोंकी भूमिका

ग्रामीण आबादी की पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर पहुंच सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 73वें संविधान संशोधन में 'पेयजल व स्वच्छता' के प्रबंधन का काम पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची के माध्यम से पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची में 'पेयजल व्यवस्था' भी ग्राम पंचायतों के कार्य एवं जिम्मेदारी का प्रमुख हिस्सा है। सतत विकास लक्ष्यों में छठवां लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' जो पंचायतों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं का टिकाऊ प्रबंधन, खुले में शौच से मुक्त पंचायत, सूखे एवं गीले कचरे का प्रबंधन व सुरक्षित निपटान और वर्षा जल का संग्रहण की बात करता है, ग्राम पंचायतों के सक्रिय नेतृत्व के बिना इसे पाना संभव नहीं है। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका को निम्न 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है –

#### कार्य योजना निर्माण के दौरान

- ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का गठन कराना।
- नल जल योजना निर्माण हेतु संकल्प पारित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।
- कार्य योजना बनाने में महिलाओं, बच्चों सहित समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- कार्य योजना निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी एवं आंकड़ों को इकट्ठा करने में पी.एच.ई. विभाग एवं कार्यान्वयन सहायता एजेन्सी को सहयोग करना।
- पानी से जुड़ी स्थानीय जानकारियों एवं परम्परागत ज्ञान को योजना निर्माण में महत्व दिलाना।
- समुदाय के साथ गांव की बसाहट एवं जल संसाधनों का नजरी नक्शा तैयार कर मोहल्ला वार पानी से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना।
- जल बजट के माध्यम से पेयजल, पशु एवं खेती के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता और गांव में उपलब्ध जल की मात्रा का आंकलन कर कमी को दूर करने हेतु जरूरी अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाना।
- सामुदायिक भागीदारी से पानी की टंकी, पम्प हाउस, नलकूप आदि के निर्माण हेतु उचित स्थान का चयन कराना।
- कार्य योजना के ड्राफ्ट को ग्राम सभा में प्रस्तुत कर, लोगों के सुझावों को कार्ययोजना में शामिल कर, ग्राम कार्य योजना का अनुमोदन कराना।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार

*(शेष पेज 4 पर)*

#### ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

**समिति में कम से कम 10 सदस्य रहेंगे, जिसमें 25% पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, 50% महिलाएं एवं शेष 25% प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि जनसंख्या में उनके अनुपात आधार पर रखे जाना है।**

(पेज 3 का शेष)

करने के लिए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित ग्राम कार्य योजना पीएचई विभाग को भेजना।

- विभाग द्वारा द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को ग्रामीणों के साथ खुली बैठक में साझा कर, परियोजना लागत और अंशदान की राशि से समुदाय को अवगत कराना।

### क्रियान्वयन/निर्माण के दौरान

- डीपीआर की एक प्रति प्राप्त करना, पीएचई विभाग से पत्राचार कर डीपीआर की प्रति प्राप्त की जा सकती है।
- अंशदान और जल कर की राशि जमा करने के लिए बैंक खाता खुलवाना। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष (सरपंच/उप सरपंच/पंच) और सचिव खाते में संयुक्त हस्ताक्षरकर्ता रहेंगे।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ मिलकर अंशदान की राशि एकत्र करना।

### निर्माण के दौरान निम्न बातों की निगरानी रखना

- **जल स्त्रोत** – कम से कम दो ऐसे जल स्त्रोतों का चयन और निर्माण किया गया है, जिनसे बारह माह लम्बे समय तक पानी मिलता रहेगा।
- **विद्युत उपकरण** – मोटर पम्प, स्टार्टर, मेन स्विच, पाइप आदि आईएसआई मार्का एवं डीपीआर में दी गई विशेषता/क्षमता के अनुरूप लगाए गए हैं।
- **पानी की टंकी** – मजबूत और डीपीआर में दी गई क्षमता के अनुसार बनायी गई है।
- **राइजिंग मेन पाइपलाइन** - जल स्त्रोत से पानी की टंकी तक बिछायी जाने वाली पाइपलाइन की मोटाई 110 मिमी है और 3 फिट गहराई में बिछायी गई है।
- **वितरण पाइपलाइन** - घरों में नल कनेक्शन देने के लिए बिछायी गई पाइपलाइन की मोटाई 90 मिमी है और 3 फिट गहराई में बिछायी गई है।
- **चैक वॉल्ब** - सभी घरों में उचित दबाव के साथ पानी पहुंचाने के लिए घरों की संख्या के आधार पर वाल्ब लगाए गए हैं।
- **जल जमाव वाले स्थान व नालियों से दूरी** - जल वितरण चैम्बरों का निर्माण और वितरण पाइपलाइन को जल भराव वाले स्थान या नालियों से दूर रखा गया है।
- **फेरूल** – वितरण पाइपलाइन से घरों में नल कनेक्शन देने के लिये 1.5 इन्च मानक के फेरूल का इस्तेमाल किया गया है।
- **घरेलू नल कनेक्शन** – लाभार्थी की सहमति से उचित स्थान पर 20 मिमी की पाइपलाइन और टोंटी के साथ स्टेण्ड पोस्ट का निर्माण कर नल कनेक्शन दिये गये हैं।
- **सामुदायिक संस्थाओं में नल कनेक्शन** – गांव में मौजूद स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, पंचायत भवन आदि में नल कनेक्शन दिए गए हैं।

### संचालन एवं रखरखाव के दौरान

- नल जल योजना का निर्माण पूर्ण हो जाने पर, टेस्टिंग करवाकर देखना कि योजना ठीक से काम कर रही है या नहीं, हर घर में उचित दबाव के साथ पर्याप्त पानी मिल रहा है अथवा नहीं, पाइपलाइन/टंकी में कहीं लीकेज तो नहीं है, पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही हेन्डओवर लेना।
- नल जल योजना से संबंधित समस्त कागजात/बिल की एक प्रति पीएचई विभाग/क्रियान्वयन एजेन्सी से प्राप्त करना, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी पर गारंटी/वारंटी का लाभ लिया जा सके।
- ग्राम पंचायत कार्यालय में नल जल आपूर्ति योजना का पूरा नक्शा प्रदर्शित करना।
- योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए योग्य प्लंबर, वॉल्ब मेन की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाना और आवश्यक टूल्स उपलब्ध कराना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण दल हेतु 5 महिलाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण दल को जांच किट उपलब्ध कराकर, साल में कम से कम दो बार (बारिश के पहले और बाद में) जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करना।
- जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों से पीएचई विभाग को अवगत कराना।
- ग्राम सभा का आयोजन कर नल जल योजना के संचालन हेतु नियम बनाना और प्रति परिवार मासिक जलकर की राशि का निर्धारण करना। (अनुलग्नक-1 का अवलोकन करें)
- मासिक जलकर जमाकर्ताओं को रसीद उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना।
- समय-समय पर नल जल योजना के आय-व्यय की जानकारी सूचना पटल/ ग्राम पंचायत या अन्य बैठकें/ग्राम सभा के माध्यम से सार्वजनिक करना।
- नल जल योजना में होने वाली सामान्य टूट-फूट की सामग्री को पहले से खरीदकर स्टॉक में रखना।
- शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराने के लिए शिकायत पेटी/रजिस्टर/मोबाइल नम्बर की व्यवस्था कर शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना।
- सभी पंचों को अपने-अपने वार्डों में नल जल आपूर्ति व्यवस्था के निगरानी की जिम्मेदारी सौंपना।
- ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में नियमित एजेन्डे के रूप में जल आपूर्ति योजना की स्थिति पर चर्चा कराना।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पुरानी जल अधोसंरचनाओं के जीर्णोद्धार और नई अधोसंरचनाओं के निर्माण की योजना बनाकर विभिन्न विभागीय योजनाओं के अभिसरण से क्रियान्वित करना। (अनुलग्नक-2 का अवलोकन करें)
- मानसून से पहले राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा संचालित ''कैच द रेन'' अभियान चलाकर ''वर्षा जल जहां गिरे, जब गिरे'' संरक्षित करने के लिए आवश्यक संरचनाओं का निर्माण कराना।

**अनुलग्नक - 1**

## कैसे करें प्रति परिवार मासिक जलकर का निर्धारण ?

यहां सीहोर जिले के ग्राम सतपिपलिया में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा ग्राम पंचायत द्वारा मासिक जलकर निर्धारण हेतु किए गये अभ्यास का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके माध्यम से आप अपने गांव में मासिक जलकर का निर्धारण कर सकते हैं। सतपिपलिया गांव में कुल 344 परिवार हैं और वहां की कुल जनसंख्या 1845 है। 344 परिवारों में से 261 पिछड़ा वर्ग, 45 मुस्लिम, 4 अनुसूचित जन जाति, 31अनुसूचित जाति और 3 सामान्य वर्ग के हैं।

| **नल जल योजना - खर्च विवरण** | | | |
|---|---|---|---|
| **क्र .** | **खर्च मद** | **मासिक खर्च** | **वार्षिक खर्च** |
| 1 | वॉल्ब-मेन का मासिक मानदेय | 7,500/- | 90,000/- |
| 2 | मासिक बिजली बिल | 18,000/- | 2,16,000/- |
| 3 | मोटर रिपेरिंग,टूट-फूट खर्च | 5,000/- | 60,000/- |
| 4 | जल गुणवत्ता सम्बंधित खर्च | 1,000/- | 12,000/- |
| 5 | कोई अन्य खर्च यदि हो तो | | |
| | **नल जल योजना पर कुल मासिक/वार्षिक खर्च** | **31,500/-** | **3, 78,000/-** |
| **खर्च के अनुसार जलकर का निर्धारण** | | | |
| **क्र .** | **स्रोत** | **मासिक जल कर** | **वार्षिक जल कर** |
| 1 | कुल मासिक खर्च गांव में कुल नल कनेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित मासिक जल कर | 31500 344 = 91.50/- | 91.50 x 12 = 1098/- |
| 2. | जलकर का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गांव में गरीब परिवारों को जलकर में छूट/रियायत देने एवं कुछ परिवारों के समय पर जलकर न दे पाने के कारण योजना के संचालन में परेशानी आ सकती है, इसलिए गणना से निकली राशि में 10 से 20 प्रतिशत राशि बढ़ाकर जलकर का निर्धारण करना चाहिए। | 100/- प्रति परिवार | 1200/- प्रति परिवार |
| 3. | कुल आय | 34400/- | 412800/- |
| | **इमरजेंसी फण्ड के रूप में जमा शेष राशि =(कुल आय – कुल खर्च)** | **2,900/-** | **34800/-** |

**अनुलग्नक-2**

## जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न विभाग की योजनाएं

| योजना का नाम | विभाग | संभावित गतिविधियां |
|---|---|---|
| जल जीवन मिशन | ग्रामीण पेयजल विभाग | ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घर को एक कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना। |
| अटल भू –जल योजना | जल संसाधन विभाग (केवल चयनित जिलों में) | भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु जल स्त्रोत रिचार्ज आदि कार्य कराना। |
| 15वां वित्त आयोग | ग्राम पंचायत | ग्रे-वाटर प्रबंधन, नाली निर्माण के कार्य करवाना। |
| स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण | पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय | सोख्ता गड्ढे का निर्माण, गे-वाटर मैनेजमेंट आदि कार्य कराना। |
| महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना | ग्रामीण विकास मंत्रालय | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के तहत सभी तरह की जल संरक्षण के कार्य करवाना। |
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) | भूमि संसाधन विभाग | वाटरशेड प्रबंधन,रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल निकायों का निर्माण/वृद्धि आदि कार्य कराना। |
| जल भंडारों की मरम्मत,नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग | बड़े जल भंडारों के जीर्णोंधार का कार्य कराना। |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | वाटरशेड से संबंधित कार्य कराना। |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग | अधिक पानी की खपत वाली फसलों के लिये सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करना। |
| क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | वनीकरण, वन पारिस्थितिकीय तंत्र का संतुलन एवं वाटरशेड से संबंधित कार्य कराना। |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय | पेयजल योजना के संचालन के लिये मानव संसाधनों हेतु कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना। |
| समग्र शिक्षा | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | स्कूलों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्य कराना। |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन से जल संरक्षण गतिविधियां कराना। |
| लोक सभा सदस्य वित्त पोषित | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | अंत: ग्राम अधोसंरचना निर्माण |
| विधान सभा सदस्य वित्त पोषित | राज्य | अंत: ग्राम अधोसंरचना निर्माण |

## पंचायत और विकास समाचार

# नल जल योजनाओं की हैन्डओवर प्रक्रिया – जिला पन्ना

**विनोद चौधरी द्वारा**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत पन्ना जिले में एकल ग्राम जल प्रदाय योजनायें एवं समूह जल प्रदाय योजना के कार्य प्रगतिरत हैं। सभी एकल ग्राम जल प्रदाय योजनाओं को माह जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 अंतर्गत ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन कर ग्राम पंचायत को हैन्डओवर की जाकर योजनाओं का प्रबंधन, संचालन एवं संधारण अशासकीय/शासकीय संगठन के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं।

### पूर्ण जल प्रदाय योजनाओं को ग्राम पंचायत को हैन्डओवर की प्रक्रिया

- सभी पूर्ण जल प्रदाय योजना की जानकारी, योजना के संचालन के परीक्षण उपरांत कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिन्हें सम्पूर्ण जल प्रदाय योजना हेतु नोडल नियुक्त किया गया है के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दी जायेगी।
- पूर्ण जल प्रदाय योजना को संबंधित ग्राम पंचायत को हैन्डओवर करने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी –

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत – अध्यक्ष
2 कार्यपालन यंत्री एम.पी.ई.बी. पन्ना/पबई – सदस्य
3 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग – सदस्य
4 कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पन्ना – सदस्य
5 संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत – सदस्य

- उपरोक्त समिति योजना पूर्ण होने के 15 दिन के भीतर पूर्ण योजना ग्राम का भ्रमण कर संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव एवं योजना के ठेकेदार की उपस्थिति में सम्पूर्ण योजना का परीक्षण कर समस्त नल कनेक्शन चालू अवस्था में है इसकी जांच कर, वीडियोग्राफी कर हैन्डओवर की कार्यवाही पूर्ण कर ग्राम सभा को इससे अवगत कराएगी।
- नल जल योजना से संबंधित मानक उपकरण का सैम्पल ग्राम पंचायत कार्यालय में संधारित किया जायेगा। जिससे भविष्य में मरम्मत के समय सैम्पल अनुसार उच्च गुणवत्ता के उपकरण क्रय किये जा सकेंगे।
- प्रत्येक ग्राम की हैन्डओवर एवं संचालित नल जल योजना हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का एक उपयंत्री नामांकित होगा जिससे पंचायत सम्पर्क कर मरम्मत का कार्य भविष्य में करा सकेगी। उपयंत्री का नाम, मोबाइल नम्बर की जानकारी का पंचायत कार्यालय में दीवार लेखन कराया जायेगा।
- ग्राम पंचायत को नल जल योजना हैन्डओवर करते समय योजना से संबंधित डी.पी.आर. बिल व्हाउचर, डिफेक्ट लायबिलिटी एवं अन्य सभी दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ठेकेदार द्वारा पंचायत कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- ग्राम पंचायत को नल जल योजना हैन्डओवर करते समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि ठेकेदार के सभी देयकों का भुगतान पूर्ण हो एवं किसी प्रकार की देनदारी पंचायत के ऊपर न आये।
- ग्राम पंचायत को नल जल योजना हैन्डओवर करते समय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ठेकेदार से पाइपलाइन डाले गए क्षेत्र का शत-प्रतिशत रीस्टोरेशन कार्य का प्रमाणीकरण अवश्य लिया जाये।
- ग्राम पंचायत द्वारा नल जल योजना के स्रोत का नियमित रूप से यील्ड टेस्ट लिया जाये जिससे यदि वर्तमान स्रोत के सूखने की संभावना बने तो अग्रिम जानकारी प्राप्त हो सके। इस बावत वैकल्पिक स्रोत चिन्हित कर रखा जाये ताकि योजना का निर्बाद संचालन हो सके।
- ग्राम पंचायत को नल जल योजना हैन्डओवर करते समय सुनिश्चित किया जाये कि ग्राम पंचायत के नाम विद्युत मीटर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विद्युत की आवश्यकता हेतु लगवा दिया हो और कोई विद्युत देयक लम्बित न हो।
- हैन्डओवर की कार्यवाही के पश्चात मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 अंतर्गत ग्राम में ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन कराकर योजना का प्रबंधन, संचालन एवं संधारण अशासकीय/शासकीय संगठन का चयन कर अनुबंध के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 अनुसार जल प्रभार की दरों का निर्धारण कर चयनित संगठन के माध्यम से जल कर नियमित रूप से एकत्र कर नियमानुसार बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। जमा कराये गये जल प्रभार की राशि की प्रविष्टि लेजर में की जानी अनिवार्य होगी। इस राशि का व्यय भी केवल नियमानुसार जल प्रदाय योजना के प्रबंधन, संचालन एवं संधारण हेतु किया जायेगा।
- जल प्रदाय योजना के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जल प्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020 के अनुसार संपादित की जाएगी।

# मनेरगा कूप से स्व-सहायता समूह सदस्य फूलवंती के जीवन में आया बदलाव

**डॉ. संजय कुमार राजपूत संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा**

प्रदेश के बैतूल जिले के विकासखण्ड शाहपुर के ग्राम पावरझण्डा निवासी श्रीमती फूलवंती धुर्वे अपने पति श्री कृष्णा धुर्वे के साथ खेती-किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करतीं थीं। परंपरागत खेती से फूलवंती के परिवार को इतनी आय नहीं हो पाती थी कि जिससे उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो सके। आजीविका मिशन के माध्यम से फूलवंती को समूह के बारे में पता चला और वह वर्ष 2018 में शिव शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ गई।

फूलवंती के पास खेती करने के लिये भूमि उपलब्ध थी। उपलब्ध भूमि में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं होने से फूलवंती का परिवार बरसात के पानी पर निर्भर रहता था। वह खरीफ की फसल का उत्पादन कर पाते थे। इस कारण से उत्पादन भी कम हो रहा था। फसल की उपज को बेचने के बाद जितने रूपये मिलते उससे ही पूरे साल का गुजर बसर करना पड़ता था।

वर्ष 2018 में शिव शंकर आजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद फूलवंती समूह की बैठक में जाने लगी। बैठकों में उसे आजीविका से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलने लगी। एक बैठक में आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कपिलधारा कूप निर्माण उपयोजना की जानकारी दी गई।

योजना की जानकारी मिलने पर फूलवंती ने अपनी ग्राम पंचायत में जाकर कपिलधारा कुआं निर्माण के लिए आवदेन दिया और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण किया। इसके बाद पंचायत द्वारा फूलवंती को कपिलधारा कूप निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई।

मनरेगा की कूप निर्माण उपयोजना से अब फूलवंती की भूमि में कूप निर्माण हो गया। कूप निर्माण होने के बाद ही फूलवंती की किस्मत बदल गई। अब आजीविका मिशन के माध्यम से उसे सब्जी उत्पादन एवं खेती का तकनीकी ज्ञान भी आजीविका मिशन की कृषि सीआरपी के माध्यम से मिलने लगा।

फूलवंती ने पहले चरण में एक एकड़ जमीन में सब्जी उत्पादन का कार्य शुरू किया, जिसके लिये उसने समूह से 12000 रूपये का ऋण लिया। दो माह बाद जैसे ही सब्जी निकलने लगी, उसके यहां प्रति सप्ताह कम से कम 2200 रूपये तक की आय होने लगी। वह अपने पति के साथ साप्ताहिक हाट बाजारों में दुकान लगाकर सब्जियां बेचती थी। इस प्रकार उसे 8500 से 9000 की मासिक आय होने लगी।

अप्रैल, 2021 में कोरोना महामारी के दौरान सम्पूर्ण जिले में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था एवं हाट बाजार लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिसके कारण फूलवंती को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि 'जहां चाह-वहां राह' इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए फूलवंती ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने ग्राम के साथ-साथ आस-पास के ग्रामों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर-घर में सब्जी उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। जिससे उसकी आजीविका फिर से चलने लगी।

अब फूलवंती वर्ष में खरीफ के साथ-साथ रवी और गर्मी में भी फसल का उत्पादन कर रहीं हैं। जिससे उनकी आय में आशातीत वृद्धि हुई है। जिससे वे अपने परिवार का भरणपोषण भी अच्छे से कर पा रहीं और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दिलवा रहीं हैं। फूलवंती कहती है कि मैं और मेरा परिवार आजीविका मिशन का सदैव आभारी रहेगा। अगर समय पर मैं समूह में न जुड़ी होती तो न मुझे जानकारी होती, न आगे बढ़ पाती।

# पढ़ुआ को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में सरपंच के अनोखे प्रयास

डॉ. संजय कुमार राजपूत संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान -आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) के द्वारा





### पढ़ुआ ग्राम पंचायत का परिचय

प्रदेश के जबलपुर मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर त्रिपुर सुंदरी मंदिर से लगी और विश्व पर्यटक स्थल भेड़ाघाट से मात्र 8 किलो मीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पढ़ुआ जनपद पंचायत जबलपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे जिले ओर प्रदेश के लिये रोल मॉडल बनती जा रही है। ग्राम पंचायत पढ़ुआ के चहुमुखी विकास में वहां के सरपंच, श्री शिवप्रसाद पटेल का सराहनीय योगदान है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2015 में पंचायतराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ। ग्राम पंचायत पढ़ुआ के वासियों ने शिवप्रसाद पटेल को सरपंच का दायित्व सौंपा। श्री पटेल ने अपनी जिम्दारियों को बहुत अच्छे से पूरा करने का प्रयास किया। ग्राम पंचायत पढ़ुआ में ग्राम पढ़ुआ, सिलुआ एवं जमुनिया ग्राम शामिल हैं। श्री शिवप्रसाद पटेल, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, हैदराबाद से सर्टीफाईड मास्टर रिसोर्स पर्सन भी हैं।

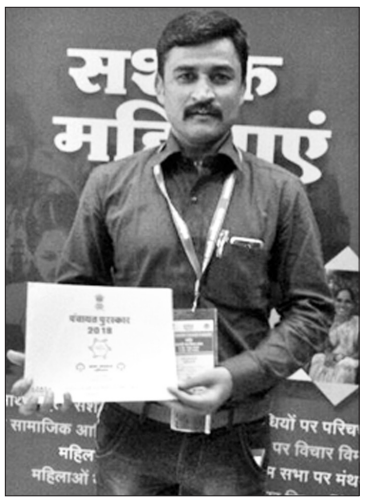



उत्कृष्ट कार्यों के लिये मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश स्तर पर दो बार और प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तीन बार ग्राम पंचायत को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 से प्रत्येक 15 अगस्त व 26 जनवरी को जिला मुख्यालय जबलपुर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भी विभिन्न मंत्रियों के द्वारा ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया। तो आइये जानते हैं कि यह पंचायत अन्य पंचायतों किस तरह अलग है।

### विवादों का निपटारा

पहले ग्राम पंचायत में जमीन, पानी, शराब, पारिवारिक विवाद होना आम बात थी। जिससे थाने, तहसील, कोर्ट और कलेक्टर कार्यालय में आये दिन ग्राम की शिकायतें होती रहती थी। इन छोटे-छोटे विवादों में लोगों का पैसा और समय जाया होता था और गांव में तनाव की स्थिति बनी रहती थी।

लेकिन अब इन विवादों का निपटारा ग्राम पंचायत में ही बातचीत और आपसी सामंजस्य से हो जाता है। ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 से 2022 तक 271 विवाद निपटाये गये। अब पंचायत क्षेत्र में शांति है और भाईचारा कायम रहता है। शासन द्वारा ग्राम पंचायत पढ़ुआ में आने वाले ग्राम जमुनिया को पिछले तीन साल से लगातार विवाद विहीन ग्राम घोषित किया जा रहा है।

### आन्तरिक व बाह्य सड़कों का निर्माण

वर्ष 2015 के पहले ग्राम में प्रवेश करते ही कीचड़ ओर उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क होती थी। पहली बारिस के बाद ही गांव में कोई भी वाहन ले जाना मुश्किल होता था। किसानों को खेत में कृषि उपकरण और फसलों को बाजार तक ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। बाहरी व्यक्ति भी पंचायत में आने से कतराते थे। बच्चों की आगे की शिक्षा, रास्तों में विषैले जीव-जन्तुओं का खतरा, गम्भीर मरीज या प्रसूता महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में देरी जैसी अनेक समस्यायों से पंचायत वासियों को सामना करना पड़ता था।

लेकिन सरपंच श्री शिवप्रसाद पटेल के प्रयासों से अब पंचायत में शामिल तीनों ग्रामों सिलुआ, पढ़ुआ एवं जमुनिया तक ''प्रधानमंत्री सड़क योजना'' से पक्की सड़कें बन गई हैं। रास्तों पर जहां अतिक्रमण था वह भी लोगों को समझाइश देकर हटवा दिया गया है, जिससे चौड़ी सड़कों का निर्माण संभव हुआ है।

### सुविधायुक्त मुक्ति धाम का निर्माण

ग्राम पंचायत पढ़ुआ में पहले कोई सुव्यवस्थित शमशान स्थल नहीं था। शमशान के लिये जिस स्थान का इस्तेमाल होता था वह ऊबड़-खाबड़ था और वहां जाने वाला रास्ते में कंटीली झाडिया भी थी। बरसात के मौसम में वहां पहुंचना और अधिक दूभर होता था। वहां पर बैठने की कोई व्यवस्था ना होने के कारण किसी की अंतिम क्रिया में शामिल लोगों को घन्टों खड़े रहना पड़ता था। अंतिम संस्कार में उपयोग की गई सामग्री जगह-जगह फैली रहती थी, जिससे चारों ओर गंदगी का माहौल रहता था। शासन की मुक्ति धाम निर्माण योजना से अब पंचायत में सर्वसुविधा युक्त, सुंदर मुक्तिधाम का निर्माण हो जाने से ग्रामवासियों को किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराने में बहुत सुविधा हो गई है।

### जल सरंक्षण कार्य

ग्राम पंचायत के दोनों शासकीय तालाबों पर अबैध कब्जा था। गहराई कम होने से जनवरी-फरवरी माह में तालाब सूख जाते थे। ग्रामीणों को पशुओं को पानी पिलाने और निस्तार के लिए पानी की समस्या होती थी। इन तालाबों का फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग कर पाना संभव नहीं था।

वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत ने तालाबों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया और ग्राम वासियों की सहभागिता से गहरीकरण का कार्य कराया। तालाब गहरीकरण से निकली मिट्टी को किसानों ने अपने खेतों में डाली जिससे फसलों की उपज बढ़ी। वर्तमान में भूमिगत जल तथा तालाब से लगभग 150 एकड़ में सिंचाई संभव हो रही है।

### शिक्षा

ग्राम पंचायत का शाला भवन पहले खस्ताहाल में था। खण्डरनुमा शाला भवन के आसपास सर्प और जहरीले जीव जंतु घूमते रहते थे। ग्राम पंचायत के तीनों ग्राम की आंगनवाड़ी, भवन ना होने के कारण निजी घरों में संचालित की जा रही थी। छात्र, छात्राओं, बच्चों में शाला एवं आंगनवाड़ी केन्द्र जाने और अभिभावकों को उन्हें भेजने में कोई उत्साह नहीं था। जिससे शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा था। ग्राम पंचायत ने शासकीय भूमि को भू-माफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर वहां सर्वसुविधा युक्त आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया। इसी प्रकार सर्वसुविधायुक्त नये शाला भवन का निर्माण भी कराया। शाला भवनों में बाउन्ड्री वॉल, शाला परिसर में किचिन गार्डन एवं फूल वाले पौधे लगाये गये हैं जिससे पढ़ुआ की शाला भवन बिल्कुल ''मॉर्डन स्कूल'' लगता है।

इसके साथ ही पंचायत में संस्कार केंद्र, स्वाध्याय केंद्र के नाम से संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में बच्चों को भारतीय संस्कृति, महापुरुषों की जीवनगाथा, शारीरिक कौशल, सामाजिक रहन-सहन आदि की शिक्षा दी जाती है। पंचायत में निरक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए, शिक्षित युवाओं और युवतियों को प्रति निरक्षर 50 रूपए प्रोत्साहन राशि देकर साक्षर बनाया गया है।

### ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व सौंदर्यीकरण

ग्राम पंचायत पढ़ुआ की भौगोलिक सीमाएं पर्यावरण की सुंदरता से घिरी हुई हैं। रानी अवन्ती बाई परियोजना के माध्यम से निर्मित नहरें इस ग्राम पंचायत को आकर्षक व सिंचित भूमि वाली बनाती हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पास से ही रेल्वे लाईन भी गुजरती है।

ग्राम पंचायत पढ़ुआ के आस-पास कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। ग्राम पंचायत क्षेत्र के पास में ही खेरमाई मंदिर, आदिनाथ दिगम्बर का मंदिर वाला पहाड़ पिसनहारी की मढ़िया, अंजनी माता मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, प्राचीन बावडियां जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं।

ग्राम पंचायत द्वारा इन ऐतिहासिक स्थलों के आसपास 5 हजार से अधिक पौधे लगाये गये। जिससे सुन्दर और मनमोहक के वातावरण मिल रहा है।

पंचायत के पोषक ग्राम जमुनिया में 14 शताब्दी का भगवान कुबेर जी का प्राचीन मंदिर हैं। जहां पर भगवान कुबेर की रथ में सवार मूर्ति लंका पति रावण की कैद में कुबेर, भगवान शिव की आराधना करते हुये कुबेर जी, मंदिर के द्वार पर कुबेर जी की कैद व ध्यानमग्न प्राचीन मूर्तियां स्थापित हैं। अपनी पहचान को तरसते इस मंदिर का प्रचार-प्रसार ग्राम पंचायत पढ़ुआ द्वारा किया गया। जिससे शासन के पुरात्व विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। ग्रामवासियों व शासन के संयुक्त प्रयासों से आज भगवान कुबेर मंदिर देश, प्रदेश और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है।

### आस्था के माध्यम से जागरूकता

ग्राम पंचायत पढ़ुआ में वर्ष 2016 में प्रभात फेरी समिति का गठन किया। गांव के हनुमान मंदिर में प्रति दिन प्रातः 5.00 बजे ग्रामवासी एकत्रित होते हैं। इसके बाद ग्रामवासियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाती है। प्रभात फेरी में राम धुन के साथ ग्राम का भ्रमण किया जाता है। प्रभात फेरी में बच्चे भी शामिल होते हैं। प्रभात फेरी के सम्पन्न होते ही प्रति दिन 5 बच्चे सुविचार बोलते हैं। इससे बच्चों में बोलने की क्षमता का विकास हो रहा है और उन्हें सुविचार से प्रेरणा भी मिल रही है।

प्रत्येक रविवार की प्रभात फेरी में ग्रामवासियों द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। इस राशि को संग्रहित किया जाता है व इस राशि का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्याओं के विवाह, समुदाय के उपयोग के लिए सामग्री क्रय, शिक्षा इत्यादि के लिए किया जाता है।

### स्वच्छता

ग्राम पंचायत पढ़ुआ जबलपुर जिले की सबसे पहली खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत यहां पर सार्वजनिक स्वच्छता परिसर का निर्माण भी कराया गया है। पंचायत में निर्मित 240 शौचालयों में से मात्र 38 शौचालय शासकीय राशि से बनाये गये शेष 202 शौचालय पंचायत के जागरुकता अभियान से प्रेरित होकर हितग्राहियों ने स्वयं के खर्च से बनाये। जिसके लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्राम पंचायत को सम्मानित भी किया गया।

ग्राम पंचायत में कचरा घर, गंदे पानी की निकासी, सार्वजनिक शौचालय बनाये गये हैं। सूखे व गीले कचरे का सही तरीके से निपटान किया जाता है।

### खेलकूद गतिविधियां

वर्ष 2015 से पहले पंचायत में शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिये कोई खेल मैदान नहीं था। मनरेगा योजना से पंचायत में दो खेल मैदान का निर्माण कराया गया। खेल मैदान में क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो व अन्य खेलों का आयोजन किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत को क्रीड़ा भारती द्वारा खेल गांव की उपाधि दी गई है। गांव के तकरीबन हरेक घर से एक युवा कुशती व कबड्डी स्पर्धा में नेशनल स्तर का खिलाड़ी है। शारीरिक विकास के लिए ग्राम पंचायत में ही मल्टी जिम बनाया गया है। खेलकूद गतिविधियों में संलग्न होने से युवाओं का शारीरिक विकास तो हो ही रहा है साथ-साथ वे नशे आदि की लत से भी दूर हैं। ग्राम पंचायत में खेलकूद

(शेष पेज 7 पर)

*(पेज 6 का शेष)*

गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास क्लब ओर युवा एवं खेल विकास समिति नाम के क्रीड़ा केंद्र संचालित किये जा रहे हैं।

### आजीविका

गांव की महिलाएं पहले घरेलू कार्य करती थीं। छोटे-मोटे खर्च के लिए भी परिवार पर निर्भर रहती थीं। वर्तमान में मध्यप्रदेश आजीविका मिशन जनपद पंचायत जबलपुर द्वारा ग्राम पंचायत में महिला सशक्तिकरण हेतु स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है।

ग्राम पंचायत पढुआ और आजीविका मिशन के अभिसरण से महिलाओं को जागरूक करने व उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास किये गये हैं। स्व-सहायता समूहों में सिलाई, कढ़ाई, सहित उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ग्राम में ही नवीन आजीविका की गतिविधियां संचालित की जा रही है।

शासकीय तालाबों को स्वसहायता समूह को लीज पर दिया गया है। जिससे तालाबों

की अच्छे से देखरेख हो रही है और स्व-सहायता समूहों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिल रहे हैं।

### नशा मुक्त ग्राम पंचायत पढुआ

ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले बहुत से लोगों में नशे की लत थी। नशे की लत के कारण परिवार में लड़ाई झगड़ा, महिलाओं के साथ मारपीट, गांव में अशांति, विवाद, सामाजिक कार्यक्रमों में विवाद की स्थिति बनती थी।

स्वसहायता समूह की दीदियों के सहयोग से ग्राम पंचायत स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता मिलता है तो ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित व्यक्ति से अर्थदण्ड वसूला जाता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर पत्नी, बच्चों के साथ हाथा पाई करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा पुलिस में रिपोर्ट की जाती है। नशे की लत छुड़ाने के लिए नशेड़ी व्यक्यिों को नशा मुक्ति केन्द्र भेजा जाता है।

### कौशल विकास

ग्राम पंचायत के युवक एवं युवतियों को लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पॉलीटेक्निक कॉलेज जबलपुर

द्वारा युवाओं को 3 वर्ष तक छह-छह माह का मोटर वाइंडिंग, लाइट फिटिंग, नल फिटिंग आदि गतिवधियों पर प्रशिक्षण दिया गया है। जिससे युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित व संचालित करने में मदद मिल रही है।

### सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देना

ग्राम विकास योजनाओं में ग्रामीणजन सहभागी बनें इसके लिये योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायत में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है। शिकायत निवारण के लिए भी यह व्हाट्सएप ग्रुप बहुत कारगर साबित हो रहा है।

# मिशन सुनहराकल – मिर्च की खेती से चमकी भगवान सिंग की किस्मत

**नरेन्द्र चौधरी, कृषि विशेषज्ञ द्वारा**

यह कहानी है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के एक छोटे से गाँव सुल्याखेडी की, जिसकी आबादी लगभग 550 एवं घरों की संख्या 110 है। गांव के किसान भगवान सिंग जो की एक साधारण परिवार से आते हैं इनके परिवार में पत्नी, 3 बच्चे और माता-पिता सहित कुल 7 सदस्य हैं। भगवान सिंग ने10 वीं तक शिक्षा प्राप्त की है। खेती की बात करें तो इनके पास कुल 7 एकड़ जमीन है जिस पर खेती कर वे पूरे परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

खेती में आधुनिक तकनीक के प्रयोग की जानकारी ना होने के कारण भगवान् सिंग 5 साल पहले तक परम्परागत तरीके से केवल गेहूं, चना एवं सोयाबीन की ही फसल लिया करते थे। वर्ष 2018 में भगवान सिंग का जुड़ाव नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत आई.टी.सी. एवं सीपा संस्था द्वारा संचालित 'मिशन सुनहराकल' परियोजना से हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खेती की लागत में कमी लाना और फसल उत्पादन को बढ़ाना है। जिसके लिए किसानों को लगातार बैठकों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से खेती में नई-नई तकनीकों के प्रयोगों की जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही खेती से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी किसानों को मदद की जाती है। भगवान सिंग ने आई.टी.सी. और सीपा संस्था द्वारा आयोजित बैठक एवं प्रशिक्षण में उपस्थित होकर आधुनिक कृषि पद्धति के बारे में जानकारी हासिल कर खेती में परम्परागत पद्धति को छोड़कर आधुनिक तरीके से कृषि करने का दृढ़ निश्चय किया।

भगवान सिंग ने आई.टी.सी-सीपा संस्था की कृषि विशेषज्ञों की टीम के मार्गदर्शन में एक एकड़ जमीन पर आधुनिक तरीके से मिर्च की खेती के साथ इसकी शुरूआत की। मई माह में एक एकड़ जमीन को मिर्च लगाने के लिए तैयार कर जून माह में उसमें पौधरोपण कर दिया। भगवान सिंग मिर्च की खेती में सिंचाई के लिए परम्परागत विधि का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन आई.टी.सी.-सीपा संस्था की टीम ने जब उन्हें ड्रिप इरीगेशन सिस्टम (टपक सिंचाई) के बारे में जानकारी दी तथा बताया कि सरकार द्वारा यह अनुदान पर भी दिया जाता है। भगवान सिंग ने तय किया कि सिंचाई के लिए वे इसी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए उन्होंने सरकारी योजना से ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लेने के लिए आवेदन भी किया। परन्तु योजना के लाभार्थियों की सूची प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी सिस्टम से निकाली जाती है, दुर्भाग्य बस लॉटरी में भगवान सिंग का नाम नहीं निकला। लेकिन वह बिल्कुल भी हताश नहीं हुए और फैसला किया कि मिर्च की फसल से जो आमदनी होगी, सबसे पहले उससे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम ख़रीदेंगे और आने वाले साल मिर्च की फसल में ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से ही सिंचाई करेंगे। एक वर्ष बाद सिंचाई में इस पद्धति के इस्तेमाल से फसल की लागत में कमी आयी और 40-50% तक पानी की बचत हुई जिससे अन्य फसल लेने में मदद मिली।

**वर्ष 2022में लगायी गई मिर्च की फसल का आय-व्यय**

| | विवरण | माह | कि.ग्रा. | दर (औसत) | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| **कुल क्षेत्र 1 एकड़** | पौधरोपण | मई-जून | | | |
| | हरी मिर्च का उत्पादन | अगस्त | 800 | 30 | 288000 |
| | | सितम्बर | 1300 | | |
| | | अक्टूबर | 3500 | | |
| | | नवंबर | 4000 | | |
| | **कुल योग** | | **9600** | | |
| | सूखी/लाल मिर्च की उपज | फरवरी – मार्च | 3000 | 160 | 480000 |
| | **कुल आमदनी** | | | | **768000** |
| **खेती की लागत** | खेत की तैयारी | | | | 10000 |
| | ड्रिप सिस्टम | मल्चिंग पोलीथिन सहित | | | 60000 |
| | पौधरोपण | 10000 पौधे, 1.5 रू./ प्रति पौधा | | | 15000 |
| | कीटनाशक | | | | 20000 |
| | उर्वरक | | | | 50000 |
| | मजूदरी | मिर्च तुड़ाई, 5 रू./कि.ग्रा. एवं अन्य | | | 50000 |
| | **योग** | | | | **205000** |
| | **अन्य खर्च – कुल खर्च का 15%** | | | | **30750** |
| | **कुल खर्च** | | | | **235750** |
| | **शुद्ध लाभ** | | | | **532250** |

वर्ष 2022 में भगवान सिंग द्वारा 2.5 एकड़ में आलू की खेती भी की गई जिसमें 60000 रूपए की लागत आयी और लगभग 4 लाख का शुद्ध लाभ मिला। सब्जी की खेती के बाद शेष जमीन पर खरीफ में सोयाबीन एवं रबी में गेहूं- चना की फसल लेते हैं। भगवान सिंग कहते हैं की आई.टी.सी – सीपा संस्था के मिशन सुनहराकल के साथ जुड़ने से आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी मिली। मैंने परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि पद्धति की ओर कदम बढाये जिससे खेती की लागत में कमी आयी और पैदावार में बढ़ोतरी हुई और आमदनी बढ़ी।

## महिलाओं की पहल

# सीता दीदी की कहानी, उन्हीं की जुबानी

**मुकेश मेंढ़ा द्वारा**

मेरा नाम सीता मुनिया है। मैं झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड की ग्राम पंचायत परवलिया में रहती हूं और पिछले कई सालों से ग्राम के ग्राम संगठन से जुडी हूं। वर्ष 2018 से पहले ग्राम सभा और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मुझे ना तो कोई जानकारी थी और ना ही कभी ग्राम पंचायत की किसी गतिविधि में भाग लेती थी। वर्ष 2018 में टी.आर.आई.एफ. और उसकी सहयोगी संस्था समर्थन द्वारा मिशन अन्त्योदय परियोजना की शुरूआत की गई।

संस्था कार्यकर्ताओं ने ग्राम संगठन की दीदियों के साथ लगातार 2-3 बैठकें आयोजित कर पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में मेरा चयन किया। पंचायत की बदलाव दीदी चुने जाने के बाद संस्था द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, ग्राम सभा, मतदाता और नागरिकता, संविधान और ग्राम पंचायत विकास योजना पर मुझे प्रशिक्षण दिया गया। बदलाव दीदी के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, प्रशिक्षण के दौरान बताया गया। अब मैं पंचायत राज व्यवस्था एवं ग्राम सभा के महत्व को समझ चुकी थी, मैंने ग्राम पंचायत के कामकाज में सक्रिय भागीदारी करना शुरू कर दी। प्रशिक्षण से मिली जानकारियों को मैंने ग्राम संगठन की सभी दीदियों के साथ साझा किया।

ग्राम पंचायत की बदलाव दीदी होने के नाते मैं ग्रामीणों के सतत सम्पर्क में रहने लगी। किसी को भी कोई परेशानी होती, वह मेरे पास आता और मैं उस व्यक्ति की हर संभव मदद करने लगी। अब गांव में मुझे पहले से अधिक सम्मान मिलने लगा था। मैंने ग्राम संगठन की दीदियों और गांव की अन्य महिलाओं और जरूरतमन्दों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें इन योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की।

गांव में होने वाली ग्राम सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम रहती थी। मैंने ग्राम संगठन की दीदियों के साथ मिलकर ग्राम सभा जागरूकता रैली निकालकर महिलाओं को ग्राम सभा में जाने के लिये प्रेरित किया। ग्राम सभा के आयोजन से पहले घर-घर जाकर, घर की चौखट पर पीले

*(शेष पेज 8 पर)*

(पेज 7 का शेष)

चावल रखकर लोगों को ग्राम सभा में आने के लिए आमंत्रित किया। इसका नतीजा यह निकला कि ग्राम सभा में न सिर्फ महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी बल्कि पुरूष भी बड़ी संख्या में भाग लेने लगे।

मैंने 18 हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा

पेंशन, 8 विधवा महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने और 4 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लाभ दिलाने में सहयोग किया। कोविड के दौरान भी मैंने लोगों को संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के लिए जागरूक करने का काम किया।

ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की दिनचर्या घर के कार्यों शुरू होकर वहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अब सभी महिलाएं बाहरी वातावरण से जुड़ने और आगे बढ़ने के लिए आगे आ रही हैं। अब वे ग्राम पंचायत की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेने लगी हैं।

# मोनिका दीदी - सुशासन की ओर बढ़ते कदम

**दीपक चौधरी द्वारा**

यह कहानी मोनिका जाय दीदी की है जो मंडला जिले के बीजाडांडी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत काल्पी में रहती हैं। मिशन अंत्योदय परियोजना के तहत मोनिका दीदी को वर्ष 2018 में जब पंचायत की बदलाव दीदी के रूप में चुना गया, तब से परियोजना के तहत आयोजित प्रत्येक बैठक और प्रशिक्षण में वह उपस्थित रहती हैं। बैठकों और प्रशिक्षणों से मिली जानकारियों को वे अपने तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन की महिलाओं और गांव के अन्य जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाती हैं। पहले वह स्वयं कभी ग्राम सभा में नहीं जाती थीं, लेकिन जब उन्हें प्रशिक्षणों के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम सभा के महत्व की जानकारी मिली तो वे नियमित रूप से ग्राम सभा में जाती हैं और महिलाओं के मुद्दों को भी उठाती हैं। मोनिका दीदी के प्रेरित करने से गांव की अन्य महिलाएं भी ग्राम सभा में जाने लगी हैं, जिससे ग्राम सभा में महिलाओं की अच्छी खासी उपस्थिति रहने लगी है



और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा होने लगी है।

ग्राम संगठन की बैठकों में सदस्यों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करती हैं और सदस्यों को स्वयं तथा योजनाओं के लाभ से वंचित अन्य परिवारों को भी लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके लिए वे गांव में घूमकर घर-घर संपर्क कर योजनाओं के लाभ से वंचित परिवारों की जानकारी जुटाती हैं और इनकी सूची तैयार कर ग्राम सभा में उन्हें लाभ दिलाने की मांग रखती हैं।

**मोनिका दीदी के सहयोग से वंचित परिवारों को मिला निम्न योजनाओं का लाभ -**

- **उज्जवला योजना** – 15 परिवारों की पहचान कर उनके आवेदन कराए, इनमें से सभी को गैस कनेक्शन मिल गया है।
- **मनरेगा कार्य की मजदूरी का भुगतान** – वर्ष 2018 में गांव के 30 मजदूरों ने मनरेगा योजना के कार्यों में मजदूरी की थी। लेकिन उन्हें मजदूरी का भुगतान नहीं मिला था। मोनिका दीदी ने जब ग्राम पंचायत से इसकी जानकारी ली तो उन्हें बताया गया कि इनका भुगतान हो चुका है। उन्होंने पूर्ण विवरण के साथ जिला कलेक्टर के समक्ष मजदूरी भुगतान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक सप्ताह के भीतर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और पंचायत सचिव के द्वारा मजदूरों के घर-घर जाकर मजदूरी का भुगतान किया गया।
- **मेढ़बंधान कार्य** – गांव के 3 छोटे किसानों ने अपने खेतों में मेढ़बंधान कार्य के लिये ग्राम सभा में आवेदन किया, परन्तु पंचायत द्वारा इनके आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब यह बात मोनिका दीदी को पता चली तो उन्होंने ग्राम पंचायत पर कार्य शुरू करने के लिए दबाव बनाया। जिसके परिणाम स्वरूप तीनों किसानों के खेत पर मेढ़बंधान का काम प्रारंभ किया गया।
- **आवश्यक दस्तावेज निर्माण के संबंध में जागरूकता** – मोनिका दीदी ने घर-घर जाकर लोगों को योजनाओं के लाभ और अन्य जरूरी कामों के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे – समग्र आई.डी., आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता आदि को बनवाने या कोई त्रुटि है तो उसे ठीक कराने के लिए जागरूक किया।
- **किसान सम्मान निधि योजना** - किसान सम्मान निधि योजना के बारे में पात्र किसानों को जानकारी दी तथा आवेदन कराने में सहयोग किया।
- **कोविड-19 से बचाव हेतु जागरूकता** - स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की महिलाओं के साथ महामारी से बचाव और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया और राहत योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग किया।
- **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ** - धर्मवती/रमेश तेकाम को कल्याणी पेंशन और झुनिया बाई/मानसिंग को दिव्यांग पेंशन का लाभ दिलाया।

गरीबों के कल्याण हेतु सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, परन्तु क्रियान्वयनकर्ताओं की संवेदनहीनता के कारण जरूरतमन्दों तक नहीं पहुंच पाती। आज हर गांव को मोनिका दीदी जैसे स्वयंसेवी कार्यकर्ता की आवश्यकता है जो अपने गांव के गरीब और जरूरमंदों को उनका हक और अधिकार दिलाने में मदद कर सके।

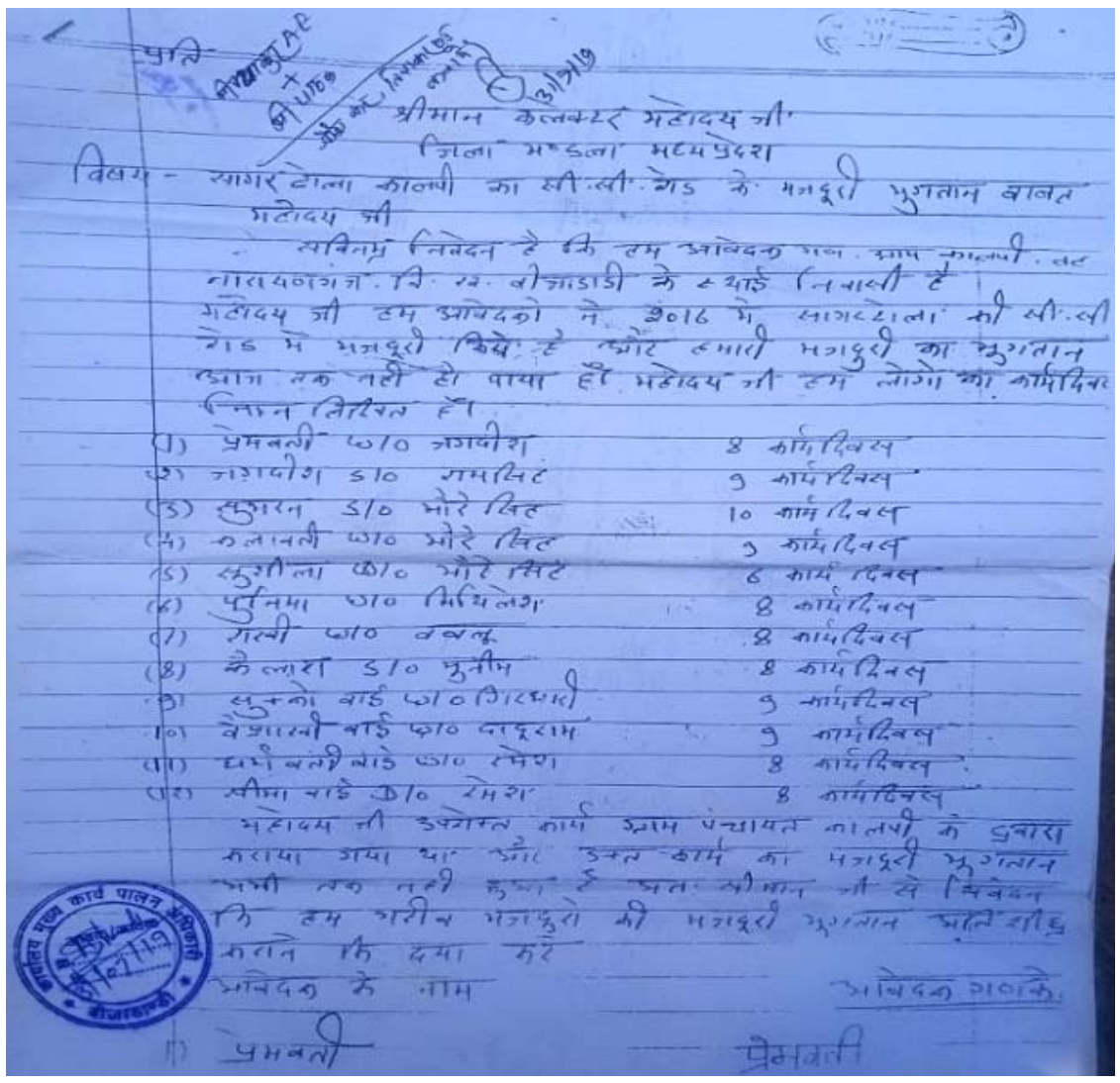



प्रति
श्रीमान कलेक्टर महोदय जी
जिला मण्डला मध्यप्रदेश
विषय - सागर टोला काल्पी का सी.सी. रोड के मजदूरी भुगतान बावत
महोदय जी
सविनम्र निवेदन है कि हम आवेदकगण ग्राम काल्पी ... नारायणगंज वि. ख. बीजाडांडी के स्थाई निवासी हैं
महोदय जी हम आवेदको ने 2016 मे सागरटोला की सी.सी. रोड मे मजदूरी किये है और हमारी मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है महोदय जी हम लोगो का कार्यदिवस निम्न लिखित है।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | प्रेमवती w/o जगदीश | 8 कार्यदिवस |
| (2) | जगदीश s/o रामसिंह | 9 कार्यदिवस |
| (3) | सुखराम s/o मोरे सिंह | 10 कार्यदिवस |
| (4) | कलावती w/o मोरे सिंह | 9 कार्यदिवस |
| (5) | सुशीला w/o मोरे सिंह | 6 कार्यदिवस |
| (6) | पूर्णिमा w/o मिथिलेश | 8 कार्यदिवस |
| (7) | रानी w/o बबलू | 8 कार्यदिवस |
| (8) | कैलाश s/o मुनीम | 8 कार्यदिवस |
| (9) | सुनको बाई w/o गिरधारी | 9 कार्यदिवस |
| (10) | बैशाखी बाई w/o दादूराम | 9 कार्यदिवस |
| (11) | धर्मवती बाई w/o रमेश | 8 कार्यदिवस |
| (12) | सीमा बाई w/o रमेश | 8 कार्यदिवस |

महोदय जी उपरोक्त कार्य ग्राम पंचायत काल्पी के द्वारा कराया गया था और उक्त कार्य का मजदूरी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम गरीब मजदूरो की मजदूरी भुगतान अति शीघ्र कराने कि दया करे
आवेदक के नाम
आवेदक गणके
(1) प्रेमवती प्रेमवती

**प्रिय पाठक गण,**

**पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।**

**समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट**
**36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016,**
**मोबाइल नंबर – 9406546728**

**प्रकाशन समर्थन, भोपाल :**
**सम्पादक मंडल: विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता,**
**पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713**